



डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लि.
भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited
A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise

No. 2022/HQ/Admin/RTI-1509


New Delhi: 27.12.2022

सक्षम प्राधिकारी / जिला राजस्व अधिकारी,
जिला पलवल
पलवल-121102
हरियाणा

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराना।

संदर्भ: आरटीआई आवेदन श्रीमती अंगूरी देवी।

आरटीआई आवेदन श्रीमती अंगूरी देवी का जो इस कार्यालय में दिनांक 13.12.2022 को प्राप्त हुआ। एवं उसे आरटीआई अधिनियम की धारा 6(3) के अन्तर्गत आपके कार्यालय में स्थानान्तरित किया जा रहा है। आपके कार्यालय से संबंधित बिन्दुओं की सूचना इस कार्यालय को सूचित करते हुए आवेदक को सीधे उपलब्ध करायी जाए। जानकारी कृपया नए पते पर प्राप्त कराएं।


(एस. के. पण्डा)

संयुक्त महाप्रबंधक / प्रशा. (ज. सू. अ.)
9717636811

* श्रीमती अंगूरी देवी
पत्नी श्री रोशनलाल
निवासी-F-256-A, गली न0-20-21,
मित्तल कॉलोनी, पुल प्रहलादपुर
नई दिल्ली-44

जानकारी के लिए



डेडीफ्रेट क्रेट कोरीडोर

डेडीफ्रेट क्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि० नोएडा यूनिट
भारत सरकार रेल मंत्रालय का उपक्रम

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd. (Noida Unit)
A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise
Noida Unit, DFCCIL Complex, (Near Sector-145 Metro Station)
Sector-145, Noida-201306 PH:0120-3680888

सं० डीएफसीसीआईएल/नोएडा यूनिट/आर०टी०आई०/१६/१/७३०५

दिनांक २२.१२.२०२२

सेवा में,

सक्षम प्राधिकारी/जिला राजस्व अधिकारी,
जिला-पलवल

विषय:- Transfer of Application U/s 6(3) of RTI Act, 2005.

सन्दर्भ:-RTI-1509 dated 21.12.2022 of Ms. Angoori Devi

उपरोक्त विषय में श्रीमती अंगूरी देवी ने सन्दर्भित पत्र के माध्यम से डीएफसीसीआईएल से सूचना मांगी है, जो कि आपके कार्यालय से सम्बन्धित है। अतः अनुरोध है कि वांछित सूचना प्रार्थिया को उपलब्ध कराने का कष्ट करें व डीएफसीसीआईएल कार्यालय को सूचित करने का कृपा करें।

संलग्नक-यथोक्त।

Ms. Angoori Devi
22/12/2022

उप परियोजना प्रबन्धक/विद्युत,
(सहायक जन सूचना अधिकारी)
डीएफसीसीआईएल/नोएडा यूनिट

प्रतिलिपि:- संयुक्त महाप्रबन्धक/मा०सं०(CPIO)कॉरपोरेट ऑफिस को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु